



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226347
CG-DL-E-01042021-226347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

फा. सं. CEA-PS-11-23(21)/8/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम मंजिल, वर्ल्डमार्क-2, एसेट एरिया-8, हास्पीटेलिटी जिला एरोसिटी, एन.एच.-8, दिल्ली 110037 में है, ने पारेषण योजना “मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड के धार मध्य प्रदेश में 324.4 मेगावाट विन्ड फार्म ऊर्जा परियोजना के लिये कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Part (I) दिनांक 04.03.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड के धार मध्य प्रदेश में 324.4 मेगावाट विन्ड फार्म ऊर्जा परियोजना के लिये कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एसएसपीटीपीएल ने 13.03.2020 (टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस) और 24.04.2020 (नव भारत) के स्थानीय अखबारों तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 08.08.2020 से 14.08.2020 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एसएसपीटीपीएल ने 19.10.2020 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि भारत के समाचार पत्रों / राजपत्रों में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड के धार मध्य प्रदेश में 324.4 मेगावाट विन्ड फार्म ऊर्जा परियोजना के लिये कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत विद्युत लाइने बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड के विंड जनरेशन स्विचयार्ड से इन्दौर (हतुनिया स्थित 765/400/220 के.वी. पी.जी.सी.आई.एल सबस्टेशन) तक 220 के.वी. सिंगल सर्किट लाइन

स्कीम के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: मध्य प्रदेश

जिला	तहसील	गाँवों के नाम
इन्दौर	सावैर	हतुनिया, पटवाखेड़ी, न्यु मालीखेड़ी, सिलोदाबुजुर्ग, शाहना, दर्जीकराड़िया, तराना, देवली, खामोद कमाल्या, बिसाखेड़ी, नागपुर, दयाखेड़ा, बलधारा, मगरखेड़ी, पोटलोद, खामोद अनजना, घटगारा एवं अजनोद
इन्दौर	देपालपुर	चांदनखेड़ी, धर्माट, पडल्या, जालोदिया ग्यान, छलोदा, तलावली, फुलान, बहीरामपुर, खंजरखेड़ी, सिरोनिया, दोलापुर
उज्जैन	बड़नगर	लखेपेरा, पीरझालर, भेसलाकलां, बीसाखेड़ी, नरसिंगा, दौलतपुर, सोहड़, पाल्दुना, झलारिया, कजलाना, गाराखेड़ी, जान्दला, पीथाखेड़ी, टोकरा, सिलोदिया, बालोदाआरसी, जस्साखेड़ी, पडुन्या-लोधा
धार	बदनावर	जवासिया, करोदा, घमाना
धार	धरमपुरी	बेगांदा

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- (vi) मेसर्स एसबीइएसएस सर्विसेस प्रोजेक्टको टू प्रायवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./05/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**ORDER**

New Delhi, the 4th March, 2021

F. No.CEA-PS-11-23(21)/8/2020-PSPA-I Division.—whereas M/s SBESS Services Projectco Two Private Limited (SSPTPL), the applicant with its registered office at SBESS Services Projectco Two Private Limited, 1st floor, Worldmark-2, Aerocity, New Delhi 110037, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system for M/s SBESS Services Projectco Two Private Limited for 324.4 MW Generation Wind Project in Dhar, MP”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1) dated 04.03.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s SBESS Services Projectco Two Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity system for M/s SBESS Services Projectco Two Private Limited for 324.4 MW Generation Wind Project in Dhar, MP”.

M/s SSPTPL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 13.03.2020 (Times of India, Free-Press) & 24.04.2020 (Nav Bharat) and in Weekly Gazette of India dated 08.08.2020 to 14.08.2020 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s SSPTPL has submitted an affidavit dated 19.10.2020 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines covered under the transmission scheme “Connectivity system for M/s SBESS Services Projectco Two Private Limited for 324.4 MW Generation Wind Project in Dhar, MP”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. SBESS Services Projectco Two Private Limited wind generation switchyard - Indore (765/400/220 kV PGCIL sub-station located at Hatuniya, Indore) S/C line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: MADHYA PRADESH

District	Tehsil	Name of Villages
Indore	Sanwer	Hatuniya, Patwa Khedi, New Mali Khedi, Siloda Buzurg, Shahna, Darjekaradia, Tarana, Devli, Khamod Kamalya, Bisa Khedi, Nagpur, Daya Kheda, Baldhara, Magar Khedi, Potlod, Khamod Anjana, Ghatgara and Ajnod
Indore	Depalpur	Chandan Khedi, Dharmat, Padlya, Jalodia Gyan, Chhadoda, Talawali, Phulan, Bhirampur, Khanjar Khedi, Sironiya, Daulatpur
Ujjain	Badnagar	Lakhesara, Pirjhar, Bhainslakalan, Beesaheda, Narsinga, Daulatpur, Sohad, Palduna, Jhalaria, Kajlana, Garakhedi, Jandla, Paduniyalodha, Peethakhedi, Tokra, Silodiya, Balodaarsi, Jassakhedi
Dhar	Badnawar	Jawasiya, Karoda, Dhamana
Dhar	Dharampuri	Beganda

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s SBESS Services Projectco Two Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s SBESS Services Projectco Two Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V. K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./05/2021-22]